रूप-पत्र 26

(उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियम, 1948 के नियम 12-ख का उपनियम (5) देखिये)

(उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा 3ङा के अधीन निर्धारित तथा रजिस्टर्ड व्यापारियों को जारी किये गये रूप-पत्रों का रजिस्टर जो व्यापार कर अधिकारी द्वारा रखा जोयेगा

रूप - पत्र की प्राप्ति

		प्राप्त रूप-पत्रों की संख्या								
दिनांक	अधिकारी जिससे प्राप्त हुए तथा पत्र की सं. तथा दिनांक जिसके साथ प्राप्त हुये	रूप-पत्रों 3 ग(1)			रूप-पत्र 3-ग (2)			रूप-पत्र 3-ग (3)		
		कुल संख्या	क्रम संख्या से	क्रम संख्या तक	कुल संख्या	क्रम संख्या से	क्रम संख्या तक	कुल संख्या	क्रम संख्या से	क्रम संख्या तक
1	2	3-(क)			3-(ख)			3-(ग)		

						रूप-पत्र का जारी करना		
रूप-पत्र 3-ग(4)			रूप-पत्र 3-ग (5)			रूप-पत्र जो व्यापारी को जारी किये गये		
कुल संख्या	क्रम संख्या से	क्रम संख्या तक	कुल संख्या	क्रम संख्या से	क्रम संख्या तक	दिनांक	व्यापारी का नाम व पता जिसको दिये गये	रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र की संख्या व प्रभावी होने का दिनांक
3 (घ)			3(ड़)			4	5	6

जारी किये गये पत्रों की संख्या											
रूप-पत्र 3-ग(1)			रूप-पत्र 3-ग (2)			रूप-पत्र 3-ग(3)			रूप-पत्र 3-ग(4)		
कुल संख्या	क्रम संख्या से	क्रम संख्या तक	कुल संख्या	क्रम संख्या से	क्रम संख्या तक	कुल संख्या	क्रम संख्या से	क्रम संख्या तक	कुल संख्या	क्रम संख्या से	क्रम संख्या तक
7 (क)			7(ख)			7(ग)			7(घ)		

जारी किये गये रूप-पत्रों की संख्या							
रूप-पत्र 3-ग (4)			सभी प्रकार के जारी किये गये रूप-पत्रों की कुल संख्या	प्राप्त करने वाले व्यापारी के हस्ताक्षर	स्तम्भ 8 में प्राप्त करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर को प्रमाणित करने वाले साक्षी के हस्ताक्षर	व्यापार कर अधिकारी/सहायक व्यापार कर अधिकारी के हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
कुल संख्या	क्रम संख्या से	क्रम संख्या तक					
7(ड़)			7(च)	8	9	10	11

टिप्पणी - इस रूप-पत्र में हस्ताक्षरों के सत्यापन का, आवश्यक परिवर्तनों के साथ वही अर्थ होगा जो सम्पति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 3 में दिया गया है।